राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 16(16)(5)परि/लेखा/राजस्व/ई-ग्रास/2015/23980 जयपुर, दिनांक 15/11/16

आदेश

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक : 3408 (अ) दिनांक 8.11.2016 की निरंतरता में जारी अधिसूचना क्रमांक 3429(अ) दिनांक 10.11.2016 के द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों को संदेय योग्य कोई फीस, प्रभार, कर या शास्ति के मद्दे संदाय करने के लिए 500/- व 1000/- के जारी नोटों को स्वीकार योग्य माना गया है एवं उक्त अधिसूचना की निरंतरता में जारी अधिसूचना क्रमांक 3445(अ) दिनांक 11.11.2016 के द्वारा उक्त अवधि को 14.11.2016 तक तथा अधिसूचना क्रमांक 3448(ई) दिनांक 14.11.2016 द्वारा उक्त अवधि को 24.11.2016 तक बढाया गया है।

अतः सभी अधीनस्थ जिला/ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय में इस हेतु राशि जमा कराने के लिए 12.11.2016 से 24.11.2016 तक विशेष काउंटर खोलेगें और यह सुनिश्चित करेगें कि दिनांक 24.11.2016 को रात्रि 12:00 बजे तक उक्त अधिसूचना अनुसार राशि जमा करें।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय आदेश क्रमांक 24/2015 दिनांक 29.7.2015 के तहत नगद जमा हेतु निर्धारित सीमा राशि 5000/- में भी दिनांक 24.11.2016 तक शिथिलता प्रदान की जाती है।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः एफ 16(16)(5)परि/लेखा/राजस्व/ई-ग्रास/2015/23981-86 जयपुर, दिनांक 15/11/16

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनसे हुई वार्त्ता के क्रम में पुष्टि हेतु प्रेषित है।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, परिवहन, शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त ।
4. अपर परिवहन आयुक्त, प्रशासन/आई.टी./कर/नियम।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी............................।

(जे.पी.मीणा)
वित्तीय सलाहकार

D:/office/letter updated